

क्र.सं. PBVY.1015.93

दिनांक 06.12.2021

सेवा में,

मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, बिहार सरकार
सचिवालय, बेली रोड
पटना

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, १८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-८४२००१ में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयौरा निम्नवत है।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराईयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते हैं।

२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।

३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से ३ साल से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।

४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।

५. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु ०-१३ वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। १८ वर्ष की

मोला मोला
15/07/21
पि. २० एवं अ. २०
उप. मुख्यमंत्री
कार्यालय
बिहार, पटना

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह 7:30 बजे से 9:30 तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 3500 रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७. पर्यावरण संरक्षण:- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना। हरित क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना।

८. रक्त दान शिविर अभियान:- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो में रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना।

९. स्वच्छता अभियान:- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना।

१०. कोविड १९ के प्रति पूरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पदाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी।



अध्यक्ष/सचिव

प्रगति बाल विकास योजना

मुजफ्फरपुर

सेवा में,

मंत्री नगर विकास एवं आवास, बिहार सरकार
विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड

विषय: प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, १८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-८४२००१ में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरा निम्नवत है।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगो को जागरूकता करते हैं।
२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।
३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से ३ साल से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।
४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।
५. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु ०-१३ वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। १८ वर्ष की

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह ७ :३० बजे से ९ :३० तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में ३५०० रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण:- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओ से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान:- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो में रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना ।

९ . स्वच्छता अभियान:- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

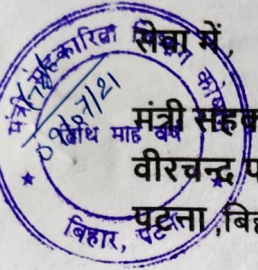
१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पधाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष/सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर



मंत्री सहकारिता, बिहार सरकार

वीरचन्द्र पटेल रोड,

पटना, बिहार - 800015

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1982 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या 705 है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-842001 में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरा निम्नवत है।

1. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते हैं।
2. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से 3 साल से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।
4. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु सेवा, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।
5. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु 0-13 वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। 18 वर्ष की

आयु के उपरान्त शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह 7 :30 बजे से 9 :30 तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते है जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 3500 रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण:- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र मे सरकार की विभिन्न योजनाओ से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान:- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो मे रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति मे स्वास्थ्य जन सेवा मे सहयोग करना ।

९ . स्वच्छता अभियान:- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले मे शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पधाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

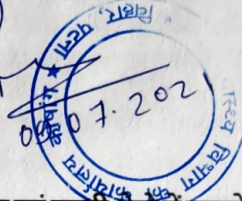
संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष//सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर

सेवा में,

मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार
प्रथम तल्ला, विकास भवन, बेली रोड
पटना-800001



विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, १८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-८४२००१ में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरानिम्नवत है।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराईयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगो को जागरूकता करते है।

२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।

३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से ३ साल से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।

४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।

५. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमे सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु ०-१३ वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। १८ वर्ष की

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी ,पेंसिल ,स्लेट ,रबर ,कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह 7 :30 बजे से 9 :30 तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 3500 रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण:- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र मे सरकार की विभिन्न योजनाओ से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान:- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो मे रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति मे स्वास्थ्य जन सेवा मे सहयोग करना ।

९ . स्वच्छता अभियान:- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले मे शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पधाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष/सचिव

प्रगति बाल विकास योजना

मुजफ्फरपुर

सेवा में,

मंत्री उत्पाद एवं निषेध, बिहार सरकार
विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड
पटना-800001

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1982 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-842001 में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरा निम्नवत है।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते हैं।
२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।
३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से 3 साल से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।
४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेवा, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।
५. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु 0-13 वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। 18 वर्ष की

जाय किरा
Sanjay Kumar
09/07/2021

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह ७ :३० बजे से ९ :३० तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में ३५०० रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान :- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलों में रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना ।

९ . स्वच्छता अभियान :- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पूरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पदाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष / सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर

सेवा में,

मंत्री पंचायती राज, बिहार सरकार
विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड
पटना

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, १८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-८४२००१ में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरानिम्नवत है।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते हैं।
२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।
३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से ३ साल से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।
४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेवा, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।
५. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु ०-१३ वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। १८ वर्ष की आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है।

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह ७:३० बजे से ९:३० तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशी के रूप में ३५०० रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७. पर्यावरण संरक्षण:- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८. रक्त दान शिविर अभियान:- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो में रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना ।

९. स्वच्छता अभियान:- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पधाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष//सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर

0/c



पी बाल विकास योजना

प्रगति बाल विकास योजना

रजि. सं.-705

कार्यालय: लवकुशनगर खानपुर, वैजनाथपुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-842001 (बिहार)

E-mail : info@pbvy.org

Website : www.pbvy.org

क्र. PBVY.161995

दिनांक ... 06/07/21

सेवा में,

मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, बिहार सरकार
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड
पटना - 800001

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1982 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-842001 में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरानिम्नवत है।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते हैं।

२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।

३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से 3 साल से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।

४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु सेवा, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।

५. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु ०-१३ वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। १८ वर्ष की

आपु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह ७ :३० बजे से ९ :३० तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में ३५०० रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान :- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगों को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलों में रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना ।

९ . स्वच्छता अभियान :- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पश्चाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष/सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर

त्राक PBVY 10/9/00

दिनांक 06/07/21

सेवा में,

मंत्री प्रयावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार सरकार
वन विभाग रोड, नेहरु नगर, पाटली पुत्र कॉलोनी
पटना-800013

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1982 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या 604 है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-842001 में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरा निम्नवत है।

1. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराईयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते हैं।
2. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से 3 साल से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।
4. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेवा, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।
5. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु 0-13 वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। 18 वर्ष की

आपु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह 7 :30 बजे से 9 :30 तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 3500 रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण:- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र मे सरकार की विभिन्न योजनाओ से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान:- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो मे रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति मे स्वास्थ्य जन सेवा मे सहयोग करना ।

९ . स्वच्छता अभियान:- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले मे शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पञ्चाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष//सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर

सेवा में,

मंत्री ग्रामीण कार्य ,बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय ,बेली रोड
पटना

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में ।

महोदय,

214/69
26/7/2021
हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, १८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है । बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-८४२००१ में स्थित है । हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है । जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है । इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए ।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरा निम्नवत है ।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगो को जागरूकता करते है ।
२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है ।
३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से ३ साल से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी ।
४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है ।
५. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमे सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु ०-१३ वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है । अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है । १८ वर्ष की

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह ७ :३० बजे से ९ :३० तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में ३५०० रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७. पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना। हरित क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना।

८. रक्त दान शिविर अभियान :- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो मे रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति मे स्वास्थ्य जन सेवा मे सहयोग करना।

९. स्वच्छता अभियान :- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले मे शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पश्चाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी।



अध्यक्ष / सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर

सेवा में,

मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार

ब्लाक IV, सचिवालय

पटना-800014

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, १८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-८४२००१ में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरा निम्नवत है।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते हैं।
२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।
३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से ३ साल से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।
४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।
५. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु ०-१३ वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। १८ वर्ष की

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह ७ :३० बजे से ९ :३० तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में ३५०० रुपये संस्था द्वारा दिये जायेंगे। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७. पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना। हरित क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना।

८. रक्त दान शिविर अभियान :- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगों को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलों में रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना।

९. स्वच्छता अभियान :- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पदाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी।



अध्यक्ष//सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर

सेवा में,

मंत्री समाज कल्याण विभाग ,बिहार सरकार
पुराना सचिवालय ,बेली रोड
पटना - ८०००१५

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में ।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, १८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है । बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-८४२००१ में स्थित है । हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है । जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है । इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए ।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयौरा निम्नवत है ।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते है ।
२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है ।
३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से ३ साल से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी ।
४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेवा, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है ।
५. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमे सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु ०-१३ वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है । अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है । १८ वर्ष की

Received
15/07/2021
मंत्री कोषांग
समाज कल्याण विभाग
बिहार, पटना

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह ७ :३० बजे से ९ :३० तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में ३५०० रुपये संस्था द्वारा दिये जायेंगे। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान :- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो में रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना ।

९ . स्वच्छता अभियान :- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पदाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष//सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर



प्रगति बाल विकास योजना

प्रगति बाल विकास योजना

रजि. नं.-705

कार्यालय: लवकुशनगर खानपुर, बैजनाथपुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-842001 (बिहार)
E-mail : info@pbvy.org Website : www.pbvy.org

क्र. PBVY/101994

दिनांक ...06/07/2021

सेवा में,

मंत्री पशु एवं मतस्य संसाधन, बिहार सरकार
वीरचंद पटेल रोड,
पटना-800014

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1982 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या 604 है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-842001 में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेधोरा निम्नवत है।

1. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराईयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते हैं।

2. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।

3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से 3 साल से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।

4. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।

5. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु 0-13 वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। 18 वर्ष की

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह 7 :30 बजे से 9 :30 तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 3500 रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान :- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो में रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य जन सेवा में सहयोग करना ।

९ . स्वच्छता अभियान :- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पदाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष/सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर

सेवा में,

मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार
विकास भवन, बेली रोड
पटना-800014

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोत्साहन करने के संबंध में।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1982 के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या 705 है। बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-842001 में स्थित है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए।

चलाये जा रहे कार्यक्रम का बेयोरा निम्नवत है।

1. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते हैं।

2. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है।

3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से 3 साल से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।

4. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है।

5. कन्या विवाह योजना:- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमें सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु 0-13 वर्ष तक है उनका पंजीयन करती है। अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है। 18 वर्ष की

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रुपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल, स्लेट, रबर, कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह ७ :३० बजे से ९ :३० तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में ३५०० रुपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण:- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र मे सरकार की विभिन्न योजनाओ से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान:- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो मे रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति मे स्वास्थ्य जन सेवा मे सहयोग करना ।

९ . स्वच्छता अभियान:- भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता अभियान और खुले मे शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना ।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पदाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।



अध्यक्ष//सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर